न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी, जोबनेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 128/ 2018

1. सीताराम पुत्र छाजू दत्तक पुत्र लादूराम कुमावत जाति कुमावत नि0 जोबनेर हाल नि0 डी–35 महेश नगर 80 फीट रोड़ जयपुर राज.

वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र छाजू जाति कुमावत नि0 माच्छरखानी तहसील फुलेरा जिला जयपुर
2. तहसीलदार जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता वादी
श्री प्रभूदयाल वर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 आपस में संगे भाई है तथा स्व0 छाजूराम जी के जायंदा पुत्र है वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पिता छाजूराम के भाई लादूराम के कोई संतान नहीं होने से वादी लादूराम के गोद चला गया तथा वादी लादूराम का दत्तक पुत्र है। वादी उसके चाचा लादूराम के गोद लाने के पश्चात् वह लादूराम का दत्तक पुत्र हुआ ओर इसी हैसियत से वादी के समस्त दस्तावेज राशनकार्ड, वोटर पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधारकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम लादूराम दर्ज है। आराजी ख0नं0 1688 रकबा 8 बीघा 8 विस्वा वाकै ग्राम माच्छरखानी प0ह0 जोरपुरा जोबनेर तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है। जो कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पिता छाजूराम के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजीयात का नामान्तकरण वादी प्रतिवादी सं0 1 व उनकी माता धापूदेवी के नाम दर्ज किया गया तथा धापूदेवी ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में कर दिया इस प्रकार राजस्व रिकोर्ड में 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में कर दिया इस प्रकार राजस्व रिकोर्ड में 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का ओर 1/3 हिस्सा वादी का है परन्तु उक्त नामान्तकरण में वादी का नाम सीताराम पुत्र छाजू दत्तक पुत्र लादूराम दर्ज किया जाना था जो सहवन से सीताराम पुत्र छाजू ही दर्ज हो गया। पक्षकारान के मध्य नाम दुरूस्ती को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है परन्तु वादी के समस्त दस्तावेजात, राशन, वोटर, पहचान पत्र, आधारकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम लादूराम दर्ज होने से व विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में वादी के पिता का नाम छाजूराम दर्ज होने से वादी को विवादित आराजीयात पर ऋण आदि व अन्य सरकारी सहायता प्राप्त करने में परेशानियो का सामना करना पड़ता है तथा वादी अपनी आराजीयात उन्नत व विकसित करने मे भी उसको भारी परेशानी होती है। अतः वादी को अपनी उपरोक्त आराजीयात में दर्ज वल्दियत को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत अपना नाम विवादग्रस्त आराजी में दुरूस्ती करवाये जाने हेतु दिनांक 09.07.2018 को पटवार हल्का व तहसीलदार महोदय से आग्रह किया तो उन्होनें इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद पेश किये जाने की सलाह दी इसलिए वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादी की तलबी की गई। वादी व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा राजीनामा पेश कर राजीनामें में अंकित किया कि विवादग्रस्त भूमि आराजी खं0नं0 1688 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा ग्राम माच्छरखानी प0ह0 जोरपुरा जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में 1/3 हिस्सें की खातेदारी वादी के नाम व 2/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिसे दोनो पक्ष स्वीकार करते है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 संगे भाई है परन्तु वादी लादूराम के गोद जाने से उसका दत्तक पुत्र है। परन्तु राजस्व रिकोर्ड में सीताराम के जायन्दा पिता छाजू का नाम ही दर्ज है अतः वादी का जो नाम विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकोर्ड में जो अंकित है उसे दुरूस्त किया जोकर सीताराम पुत्र छाजू दत्तक पुत्र लादूराम कुमावत दर्ज किये जाने के पक्षकारों को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट में अंकित किया कि उनवानी सीताराम बनाम रामकरण वगै0 वाद बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पत्र सं0 242/22 के खं0नं0 1688 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा ग्राम माच्छरखानी के संवत् 2048–51 के खाता सं0 80 पर छाजू पुत्र लखमा कौम कुम्हार सा0देह0 दर्ज रजिस्टर था, जो नामान्तकरण सं0 167 दिनांक 11.01.1993 से छाजू के स्थान पर रामकरण, सीताराम पुत्र छाजू व धापूदेवी पत्नि छाजू कौम का नाम इन्द्राज हुआ। जमाबन्दी संवत् 2072–75 ग्राम माच्छरखानी के खं0नं0 229 पर खं0नं0 1688 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा पर नामान्तकरण सं0 1274 दिनांक 05.10.2016 हकत्याग से धापूदेवी पत्नि छाजू हि0 1/3 के स्थान पर रामकरण पुत्र छाजू हि0 1/3 कौम कुम्हार सा0देह0 हाल गोड़ावाली कोठी वार्ड नं0 1 जोबनेर के नाम का इन्द्राज हुआ। उक्त इन्द्राज जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं0 250 पर रामकरण पुत्र छाजू हि0 2/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 गोड़ावाली कोठी वार्ड नं0 1 जोबनेर सीताराम पुत्र छाजू हि0 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापत) सा0देह0 रेकार्ड दर्ज है।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी, पेन कार्ड, आधारकार्ड की प्रतिया पेश की है।

4. वकील पक्षकारान ने मुताबिक राजीनाम वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व तहसीलदार जोबनेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट व राजीनामा के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 1688 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा वाकै ग्राम माच्छरखानी प0ह0 जोरपुरा जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में सीताराम पुत्र छाजू के स्थान पर **सीताराम पुत्र छाजू दत्तक पुत्र लादूराम** दुरुस्त किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जोबनेर को आदेश प्रदान किये जाते है। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

(सुनीता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर